## प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 04.04.2026

## #OPERATION CONVICTION

***#नारी_सुरक्षा_सम्मान_स्वावलंबन***

***#MissionShakti5***

***मिशन शक्ति 5.0 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 04.04.2026 को निम्न अभियोग में सजा करायी गयी है।***

## थाना सहसों

**इटावा पुलिस/अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 द्वारा 01 अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 55,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सहसों पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 55,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

थाना सहसों क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सहसों पर दिनाँक 11.02.2024 को **मु0अ0सं0-06/2024 धारा 363/366 भादवि बढोत्तरी धारा 376/120 बी भादवि व 3/4/16/17 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **उ0नि0 श्री राजेश कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सहसों पुलिस टीम, पैरोकार का0 सुखराशी पटेल व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री देवेन्द्र तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 04.04.2026 को अन्तर्गत **धारा 363/366 भादवि बढोत्तरी धारा 376/120 बी भादवि व 3/4/16/17 पाक्सो एक्ट मे मा0 न्याया0 एडीजे /टीआरसी (पोक्सो एक्ट) इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 55,000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

**छोटू उर्फ संजय पुत्र हाकिम सिंह निवासी पुराखेडा थाना बिठौली जनपद इटावा।**